BAR ASSOCIATION GIRIDIH

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रश्नागत वाद थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा उभय पक्षों से कारण पृच्छा की मांग की गई।. प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि मौजा - बमनी में स्थित खाता-6 प्लाट- 184 की है जो उनके पूर्वजों के नाम से खतियानी भूमि है।. खतियानी रैयत चमन भगत के तीन पुत्र- कन्हैया लाल, रामवतार भगत, रामपति भगत हुये। रामवतार भगत के तीन पुत्र हुये- नंदकिशोर भगत, वासुदेव भगत एवं उमाशंकर जायसवाल/ भगत। उमाशंकर जायसवाल इस वाद में प्रथम पक्ष हैं। खतियानी रैयत चमन भगत वगै. बनाम बसंती हलवाई के बीच मुन्सिफ कोर्ट हजारीबाग में वाद सं० -94/1934 दायर किया चला था तथा उसमें पारित आदेश के आधार पर भूमि प्रथम पक्ष प्रश्नागत है। उक्त भूमि पर दखलकार है। उक्त भूमि की जमाबंदी अंचल कार्यालय में उनके पूर्वज	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	चमन भगत वगै० के नाम से कायम है। उक्त भूमि की चाहरदिवारी द्वितीय पक्ष के द्वारा तोड़ कर लोक परिशांति को भंग करने का प्रयास किया है, अतः उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में ऑन लाईन पंजी-II की प्रति एवं चमन भगत वगै० के नाम से निर्गत लगान रसीद को छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विस्तृत कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उन्हें निबंधित विक्रय पत्र संख्या-4684, दिनांक-24/09/2018 से सुनील प्रसाद साव से हासिल है। उक्त खरीदगी के पश्चात द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि पर काबिज है तथा नामांतरण के पश्चात लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। द्वितीय पक्ष का आगे	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कहना है कि विक्रेता सुनील प्रसाद साव का वादगत भूमि पर एक एवं अधिकार निबंधित विक्रय पत्र सं0- 6497 दिनांक -31/07/14 एवं निबंधित सामान्य अधिकार पत्र सं0- 652 दिनांक - 29/06/2015 से प्राप्त था/ उक्त सुनील साव द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करने के पश्चात दखल-कब्जा एवं स्वत्व द्वितीय पक्ष को हस्तानान्तरित हो गया था/ पूर्व में द: प्र: स. की धारा 144 के तहत वाद सं0- 73/2019 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया के न्यायालय में चला था जिसमें द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया गया था/ अत: निषेधाज्ञा को उनके हित में समाप्त करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में द. प्र. स. की धारा के अंतर्गत वाद सं0 73/19 में पारित आदेश की प्रति, विक्रय पत्र सुनिल प्रसाद साव बनाम कमेश्वर यादव की छाया प्रति, विक्रय पत्र सं0-	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4 1	2	3
	6497, दिनांक - 31/7/2014 की छायाप्रति, सामान्य अधिकार पत्र सं0 - 652 की छायाप्रति, स्वत्व वाद सं0 - 94/1934 में पारित आदेश की छायाप्रति, दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नागत भूमि जोखी भगत, रामेश्वर एवं काली की सम्मिलात सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत काली के वंशज है जबकि द्वितीय पक्ष ने खतियानी रैयत जोखी भगत के वंशज से भूमि का क्रय किया है। स्वत्व वाद सं0 - 94/1934 में यह स्पष्ट किया गया है कि खाता - 6 की भूमि सम्मिलात भूमि है। खतियानी रैयतों के वंशजों के बीच मौखिक बंटवारे को नहीं मानने के कारण यह विवाद है। द्वितीय पक्ष के विक्रेता को जमीन खतियानी रैयत के अन्य वंशजों से हासिल है। उक्त तथ्यों की समीक्षा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
5 1	2	3
	करते हुये अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया ने द.प्र.स. की धारा-144 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया था। उक्त विवेचन के आलोक में नियमत को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ। यह आदेश द.प्र.स. की धारा 144(4) के तहत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [signature] SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.28 13:45:40 +05:30
Location: 192.168.1.10